विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा

की

वर्ष 1983-84

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

प्रकाशक :
निदेशक, विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

विषय-सूची

क्रम सं0	अध्याय-शीर्षक	पृष्ठ-संख्या
	समीक्षा	1—9
1.	शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन	10—12
2.	प्राथमिक शिक्षा	13—20
3.	माध्यमिक शिक्षा	21—27
4.	प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा	28—32
5.	महिला शिक्षा	33—35
6.	शिक्षा सुधार कार्यक्रम	36—37
7.	छात्रवृत्ति तथा अन्य वित्तीय सहायता	38—40
8.	विविध	41—48

NIEPA DC
D04498

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,Sri Aurbindo Marg,New Delhi-110016
DOC. No.... D-4498
Date.......................12/4/82

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT FOR THE YEAR 1983-84 OF SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

For running the work smoothly accordingly to the vast set up of Education World there is also Office of the Director of School Education in addition to Govt. which keeps co-ordination between Government and District Offices, Implements the education policies and inspect the education work. There are offices of District Education Officers for running the educational, administrative and inspection of each district, for education, administrative and inspection work of primary education there are offices of Block Education Officers.

For running the educational and administrative work of Adult Education and Non-formal Education there are offices of Adult Education Officers at District level.

During the year 1983-84, the main education work/policies of the State are as under :—

Primary Education

Education for the children of 6-11 age is avilable at walkable distance in the state. Free education is provided to the Children of 6-11 age in Government Primary Schools. An amount of Rs. 7.5 lakhs was arranged to provide free stationery to the students of Scheduled castes/Weaker saction of Society for more entry of children in the schools. An amount of Rs. 30.62 lacs was arranged for providing free uniforms to Harijan Girls and attendance scholarships of Rs. 52.88 lacs was given to 44,000 Harijan Girls at the rate of Rs 10/- per Girls per month. 1000 Primary Schools were provided with Rs. 300/- per Primary School for arranging the sports and recreation material and 105500 meter tat-patti of Rs. 15 lakhs was brought.

No student is detained in the first and second class in this State. The Primary School Teachers hold monthly meeting in established school complex centres for discussing teaching problems with one another.

In the State 107.9 percent Boys and 69.4% Girls of 6-11 age studying in Primary Classes and 114.3 percent Boys and

70.4 Girls belonging to Scheduled Castes of 6-11 age are studying in Primary Classes.

230 new Primary Schools were opened during the year 1983-84 in the State.

Secondary Education

In the State Free Education is provided from 6th to 8th classes and Harijan Girls of 9th to 11th classes in Government Schools of the State. Special coaching is given to the Harijan students of 9th and 11th classes in the subject of Mathematics, English and Science for three months every year so that dull students of Scheduled Castes can complete other students.

Grants of Rs. 434.57 lacs were given to Non-Government Primary, Middle and Higher/Hr. Secondary Schools in the year 1983-84.

During the year 1983-84 two schools were given permanent recognition and one-school was taken over

The percentage of School going children in the age group 11-14 is 76.7 boys and 33.6 girls and 36.9 Boys and 11.4 girls in the age group of 14-17. The percentage of school going children in the age group 11-14 is 57.9 Boys and 15.2 Girls and in the age group of 14-17, 20.67 Boys and 2.93 Girls belonging Scheduled Castes.

Adult Education and Non-Formal Education

Adult Education

Adult Education programme was started at large scale on 2nd October 1978. Earlier 998 Centres of Adult Education were running in the some Districts of the State. The number of functioning centres of adult education in the year 1983-84 is 1009. 42458 Men and 71951 Women got Literacy in these centres.

There is a Sharmik Vidya peeth in Faridabad for providing education to labourers.

The expenditure on Adult Education in the year 1983-84 was Rs. 98.28 lacs (Provisionally)

Non Formal Education

There is an arrangement of Non-Formal Education in the State for those children of 6– 14 age group who could not get education due to family, economic, social and any other reasons. 3511 centres of Non-Formal Education were functioning in the year 1983-84 in which 41546 Boys and 56677 Girls received education. Free stationery was provided to students for encouraging.

During the year 1983-84, Rs. 49.20 lacs were spent on Non-Formal Education.

Qualitative Improvement

Education Technology Cell is established in the state Council of Educational Research and Training for the purpose of qualitative improvement in education, to lesson the stagnation at school stage, to make primary education more effective and interesting, to give new directions to teaching technique of teachers and necessary teachers training.

Work experience has been made compulsory subject for Secondary Classes. Rs. 3.5 lacs were spent on work experience in 1983-84.

Every year Rs. 90 lacs were provided for the repairment of School Buildings. There is provision on plan-side of the amount of Rs. 20 lacs and Rs. 3 lacs for construction of School building of High/Higher Secondary Schools and Primary Schools respectively.

Other Programmes

Pre-Service Teachers Training programme was running in 18 Institutions in the State for professional efficiency of the teachers.

2. In-service Training was organised for 2000 JBT Teachers, 950 Secondary teachers/Headmasters and Block Education Officers.

3. The Language of the State is Hindi, English is taught as second Language from 6th class and inspite of Punjabi, Sanskrit and Urdu as third Language, the facilities of teaching of Telgu is also available in 52 Schools.

4. Rs. 14.50 lacs was sanctioned for strengthening the Book-Banks, 1427 Ton paper at cheap rate was given to approved small industrial units for supplying the cheap note-book.

5. Selected team for schools of the state got 67 Medals in National School Sports Competition.

6. Bharat Scouts and Guide movement is running in the state for creating the brotherhood sense of leadership and sense of serving the human being. Haryana Scouts and Guides Association Organised 17 camps and 279 Scouts participated in these camps.

7. The Language Cell in the Education Department translated administrative material from English to Hindi received from various Departments/Board/Corporation. 2490 standard pages were translated from English to Hindi in the year 1983-84

8. Aid of Rs 458809 was given from the National Teachers Welfare fund to Teachers/Teachresses and their dependents in adverse circumstances

As many as eight teachers were honoured with state awards. These teachers are honoured with a cash of Rs. 1000/- one silver medal, one certificate, two advance increments for five years and two years extension in service.

9. A Haryana Sahitya Akademi is set up by State Government. This Institution raises the literary status of the State, encourages literary activities of all languages and enhances research in cultural tradition. It sets guideline and policy for the preparation of books in Hindi Language for University level.

विद्यालय शिक्षा विभाग की वर्ष 1983–84 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

शिक्षा जगत की व्यापक व्यवस्था के अनुरूप कार्य संपादन में सुविधा की दृष्टि से इस प्रदेश में सरकार के अतिरिक्त विद्यालय शिक्षा निदेशक का कार्यालय भी है जो सरकार और जिला कार्यालयों के मध्य तालमेल रखता है, शिक्षा नीतियों को लागू करता है तथा शिक्षा कार्य का निरीक्षण करता है। प्रत्येक जिले में शैक्षिक, प्रशासनिक एवं निरीक्षण कार्य संचालन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है। प्राथमिक शिक्षा के शैक्षिक, प्रशासनिक एवं निरीक्षण कार्य के लिए एक-एक खण्ड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है।

प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्य संचालन के लिए जिला स्तर पर एक-एक जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी कार्यालय हैं।

वर्ष 1983–84 के दौरान प्रदेश की प्रमुख शिक्षा/कार्य/नीतियां निम्नवत हैं।

प्राथमिक शिक्षा

प्रदेश में 6–11 आयु के बच्चों के लिए शिक्षा गमन योग्य दूरी पर उपलब्ध है। राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में 6–11 की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। हरिजन जाति/कमजोर वर्ग के बच्चों को अधिक से अधिक विद्यालयों में प्रवेश के लिए मुफ्त लेखन सामग्री बच्चों को देने हेतु 7.5 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। हरिजन छात्राओं को मुफ्त वर्दियां देने के लिए 30.62 लाख रुपए की व्यवस्था की गई तथा 14,000 हरिजन छात्राओं को 10 रुपए प्रति छात्रा प्रति मास के हिसाब से 52.80 लाख रुपए की उपस्थिति छात्रवृत्ति दी गई। 1000 प्राथमिक पाठशालाओं को 300/-

रुपए प्रति प्राथमिक पाठशालाओं की दर से खेल कूद तथा मनोरंजन की सामग्री जुटाने हेतु दिए गए तथा 15 लाख रुपए के मूल्य की 101500 मीटर टाट पट्टी खरीदी गई।

इस प्रदेश में पहली तथा दूसरी कक्षा में कोई बच्चा फेल नहीं किया जाता है। अध्ययन समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श के लिए स्थापित शाला संगम केन्द्रों में प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापक, मासिक बैठक करते हैं।

प्रदेश में 6–11 आयु के 107.9 प्रतिशत लड़के तथा 69.4 प्रतिशत लड़कियां प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं और अनुसूचित जातियों के 6–11 आयु के 114.3 प्रतिशत लड़के तथा 70.4 प्रतिशत लड़कियां प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं।

वर्ष 1983–84 के दौरान प्रदेश में 230 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं।

माध्यमिक शिक्षा

प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में छठी से आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है तथा अनुसूचित जातियों को 9वीं से 11वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के बच्चों को गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान विषयों में प्रति वर्ष तीन मास की विशेष कोचिंग दी जाती है ताकि अनुसूचित जाति के कमजोर बच्चे उन विषयों में अधिक सुदृढ़ हो सकें।

वर्ष 1983–84 में अराजकीय प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च// उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को 434.57 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी गई।

वर्ष 1983–84 के दौरान 2 विद्यालयों को स्थाई मान्यता प्रदान की गई तथा एक स्कूल को सरकार ने अपने नियंत्रण मे लिया।

वर्ष 1983–84 के दौरान 11–14 आयु के 76.7 प्रतिशत लड़के तथा 38.6 प्रतिशत लड़कियां और 14–17 आयु के 36.9 प्रतिशत लड़के तथा

11.4 प्रतिशत लड़कियां विद्यालयों में पढ़ते हैं। अनुसूचित जाति के 11-14 आयु के 57.9 प्रतिशत लड़के तथा 15.2 प्रतिशत लड़कियां और 14-17 आयु के 20.67 प्रतिशत लड़के तथा 2.93 प्रतिशत लड़कियां विद्यालयों में पढ़ते हैं।

प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा

1. प्रौढ़ शिक्षा :—प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 2 अक्तूबर, 1978 से बड़े पैमाने पर आरम्भ किया गया। इससे पहले प्रौढ़ शिक्षा के 998 केन्द्र राज्य के कुछ जिलों में चल रहे थे। वर्ष 1983-84 के कार्यरत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या 4809 है जिनमें 42458 पुरुषों तथा 71951 महिलाओं ने साक्षरता प्राप्त की है।

औद्योगिक श्रमिकों को शिक्षा देने के लिए फरीदाबाद में श्रमिक विद्यापीठ है। वर्ष 1983-84 में प्रौढ़ शिक्षा पर 98.28 लाख रुपए (प्रोविजनल) व्यय किया गया।

2. अनौपचारिक शिक्षा

राज्य में 6-14 आयु के उन बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देने की व्यवस्था है जो पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा अन्य किसी कारण से विद्यालय शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। वर्ष 1983-84 में अनौपचारिक शिक्षा के 3511 केन्द्र कार्यरत थे। जिनमें 41546 लड़के तथा 56677 लड़कियों ने शिक्षा प्राप्त की। छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुफ्त पाठ्य-पुस्तकें और लेखन सामग्री दी गई।

वर्ष 1983-84 में अनौपचारिक शिक्षा पर 49.20 लाख रुपये व्यय किए गए।

गुणात्मक सुधार

शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने, विद्यालय स्तर पर गतिरोध को कम करने, प्राथमिक शिक्षा को अधिक प्रभावशाली तथा रोचक बनाने, अध्यापकों

की शिक्षण विधियों को नई दिशा देने तथा आवश्यक शिक्षक प्रशिक्षण देने के उद्देश्यों से राज्य में शैक्षिक तकनीकी अनुभाग की स्थापना की हुई है।

कार्य अनुभव सभी माध्यमिक कक्षाओं के लिए अनिवार्य विषय बना दिया गया है। वर्ष 1983-84 में कार्य अनुभव पर 3.5 लाख रुपए खर्च हुए।

विद्यालयों के भवनों की मरम्मत के लिए 90 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। प्लान पक्ष पर उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 20 लाख रुपए तथा प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की राशि का प्रावधान है।

अन्य कार्यक्रम

1. अध्यापकों की व्यवसायिक दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रदेश की 18 शिक्षा संस्थाओं में सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू था।

2. 2000 जे.बी.टी. अध्यापक, 950 सैकण्डरी अध्यापक, मुख्याध्यापकों और खण्ड शिक्षा अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

3. इस राज्य की भाषा हिन्दी है। अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में छठी कक्षा से आरम्भ की जाती है तथा तीसरी भाषा के रूप में पंजाबी, संस्कृत तथा उर्दू के अतिरिक्त तेलगू की शिक्षा की सुविधा भी 52 विद्यालयों में उपलब्ध है।

4. बुक बैंकों को सदृढ़ करने के लिए 14.50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सस्ती अभ्यास पुस्तकायें उपलब्ध करने के लिए अनुमोदित लघु औद्योगिक इकाईयों को 1127 टन कागज सस्ते मूल्य पर उपलब्ध किया गया।

5. राज्य के विद्यालयों की चुनी हुई टीमों ने राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में 67 पदक प्राप्त किए।

6. भातृत्वप्रेम, नेतृत्व की भावना और जनजाति की सेवाभाव उत्पन्न करने के लिए राज्य में भारत स्काउट्स एवं गाईडस आन्दोलन चलाया जा रहा है। हरियाणा स्काउट्स एवं गाईडस एसोसिएशन द्वारा राज्य में 17 शिविर लगाए गए तथा 279 स्काउट्स ने इन शिवरों मे भाग लिया।

7. शिक्षा विभाग में स्थापित भाषा अनुभाग राज्य के विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों आदि से प्राप्त प्रशासनिक सामग्री का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का कार्य करता है। वर्ष 1983-84 में इस अनुभाग द्वारा 2490 मानक पृष्ठों का अंग्रेजी से हिन्दी मे अनुवाद किया गया।

8. राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा विपत्ताग्रस्त अध्यापकों/अध्यापिकाओं और उनके आश्रितों को 458809 रुपए की सहायता दी गई। लगभग आठ अध्यापकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन अध्यापकों को 1000/- रुपये नकद, एक चान्दी का पदक, एक प्रमाण-पत्र दो अग्रिम वेतन वृद्धियां तथा दो साल की सेवा की वृद्धि से सम्मानित किया जाता है।

9. राज्य सरकार द्वारा एक हरियाणा साहित्य अकादमी का भी गठन किया हुआ है। यह संस्था राज्य में साहित्यक स्तर को उन्नत करती है तथा भाषाओं की साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है और सांस्कृतिक परम्पराओं में अनुसंधान को बढ़ावा देती है। हिन्दी भाषा में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार कराने के लिए मार्गदर्शन और नीति निर्धारित करती है।

अध्याय पहला

शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन

1.1 वर्ष 1983-84 में श्री जगदीश नेहरा, राज्य शिक्षा मन्त्री के पद पर रहे ।

(क) सचिवालय स्तर पर

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा आयुक्त एवं सचिव, के पद पर श्रीमती किरण अग्रवाला, आई0 ए0 एस0 रही । संयुक्त सचिव के पद पर श्री एस0 पी0 भाटिया, आई0 ए0 एस0 और उप सचिव के पद पर श्री सुखबीर सिंह, एच0 सी0 एस0 ने कार्य किया ।

(ख) वर्ष 1983-84 में निदेशक विद्यालय शिक्षा के पद पर श्री के0 सी0 शर्मा, आई0 ए0 एस0 ने कार्य किया। निदेशालय स्तर पर निम्न पदों पर अन्य नियुक्त अधिकारियों ने कार्य सुचारु रूप से चलाने में सहयोग दिया :—

पदों के नाम	अधिकारियों की संख्या
निदेशक, एस0 आर0 सी0	1
संयुक्त निदेशक	2
प्रशासन अधिकारी	1
उप निदेशक	5
अध्यक्ष अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा	1
सहायक निदेशक	9
लेखा अधिकारी	2
बजट अधिकारी	1
युवक एवं खेल अधिकारी	1

1.2 जिला प्रशासन

राज्य के प्रत्येक जिले में स्कूल शिक्षा का विकास, प्रशासन और नियन्त्रण का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारियों पर है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य की शिक्षा नीतियों को कार्यरूप देते हैं। जिले में शिक्षा विकास कार्य को भली-भांति चलाने के लिए सभी उप मण्डलों में उप मण्डल शिक्षा अधिकारी हैं। उप मण्डल शिक्षा अधिकारी अपने उप मण्डल में शिक्षा के विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी हैं।

जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिए एक-एक उप मण्डल जिला शिक्षा अधिकारी, एक-एक विज्ञान विशेषज्ञ तथा एक-एक सहायक शिक्षा अधिकारी (खेल-कूद) भी नियुक्त है। परियोजना अधिकारी एवं सहायक परियोजना अधिकारी इस कार्य में उनकी सहायता करते है।

1.3 खण्ड स्तर पर

राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण तथा प्रशासनिक सुविधा के लिए 119 शिक्षा खण्डों में बांटा गया है। खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने-अपने खण्ड में स्थित प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा प्राथमिक विद्यालयों को सुचारु रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी हैं।

1.4 राजकीय विद्यालय

सभी राजकीय उच्च तथा उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों का प्रशासनिक प्रबंध मुख्याध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के माध्यम से चलाया जाता है। सभी मुख्याध्यापक तथा प्रधानाचार्य अपने-अपने स्कूलों में विद्यार्थियों को सुचारु रूप से शिक्षा देने तथा उनके शैक्षिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी विभाग के प्रति उत्तरदायी है।

1.5 अराजकीय विद्यालय

अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्धक समितियों द्वारा चलाया जाता है। शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार ही इन विद्यालयों में शिक्षा

दी जाती है। ये विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं। शिक्षा विभाग उनको सुचारु रूप से चलाने के लिए वार्षिक अनुदान देता है। इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी ही करते हैं।

1.6 शिक्षा पर व्यय

शिक्षा विभाग का वर्ष 1983-84 का बजट (संशोधित अनुमान अनुसार) इस प्रकार था :—

(क) प्रत्यक्ष व्यय

(राशि लाख रुपये में)

मद	योजनेत्तर	योजना	कुल
माध्यमिक शिक्षा	4031.39	498.21	4529.60
प्राथमिक शिक्षा	3451.31	716.07	4167.38
विशेष शिक्षा (सीमान्त)	34.15	65.23	99.38
विविध	41.84	46.26	88.10
जोड़	7558.69	1325.77	8884.46

(ख) परोक्ष व्यय

मद	योजनेत्तर	योजना	जोड़
1 निदेशन (मुख्यालय)	82.21	7.09	89.30
2. इन्सपेक्शन	206.41	11.15	217.56
जोड़	288.62	18.24	306.86
जोड़ प्रत्यक्ष तथा परोक्ष	7847.31	1344.01	9191.32

अध्याय दूसरा

प्राथमिक शिक्षा

2.1 प्राथमिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा है। अतः इसे देश के प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध कराने के लिए इसका विस्तार तथा विकास अत्यावश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य में इसके विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस समय हरियाणा राज्य में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा, राज्य की शिक्षा नीति अनुसार 6–11 आयु वर्ग के बच्चों के लिये गमन योग्य दूरी पर उपलब्ध है।

2.2 हरियाणा में वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियों तथा प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या निम्न प्रकार थी :—

	1982-83		1983-84	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
पूर्व प्राथमिक पाठशालाएं/ बालवाड़ियां	27	—	27	—
प्राथमिक पाठशालाएं	4617	216	4544	350

वर्ष 1983-84 में केवल लड़कियों के लिए पृथक 200 प्राथमिक स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा था। इसके सम्मुख इस वर्ष 230 नये प्राथमिक स्कूल खोले गये जिनमें से 200 स्कूल केवल लड़कियों के लिए खोले गये हैं। वर्ष 1982-83 में 4833 पाठशालाएं थीं जो वर्ष 1983-84 में बढ़ कर 4894 हो गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 5384 थी तथा अब 4894 है। इस कमी का कारण यह है कि पांचवी पंच वर्षीय योजना के बाद काफी संख्या में प्राथमिक स्कूलों का दर्जा बढ़ा कर माध्यमिक कर दिया गया है।

2.3 छात्र संख्या

(क) कुल छात्र संख्या

	1982-83		1983-84	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
(1) स्कूल अनुसार				
पूर्व प्राथमिक बालवाड़ियां	726	465	984	686
प्राथमिक पाठशालाएं	375510	234116	376765	251139
(2) स्तर अनुसार				
(क) पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	2728	1871	1382	976
प्राथमिक स्तर पहली से पांचवीं	886558	508934	913486	550638

(ख) अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या

(1) स्कूल अनुसार

	1982–83		1983–84	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	189	133	86	107
प्राथमिक पाठशालाएं	84190	53277	84121	59484

	1982-83		1983-84	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	243	102	167	88
प्राथमिक स्तर (पहली से 5वीं)	177453	92748	183764	186231

प्राथमिक स्तर की छात्र संख्या के लिए वर्ष 1983-84 के योजनाधीन निर्धारित लक्ष्यों एवं उनकी पूर्ति.—

	लक्ष्य			लक्ष्यों की पूर्ति		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
छात्र संख्या (लाखों में)	8.75	5.25	13.90	9.13	5.51	14 64
प्रतिशत (6-11 आयु में)	103.4	64.9	84.4	107.9	69.4	89.3
अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या						
छात्र संख्या	1.80	0.98	2.78	1.84	1 06	2 90
प्रतिशत (6-11 आयु में)	112.9	64 9	89.4	114.3	7.4	93.1

पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त में 6-11 आयु वर्ग के स्कूल में जाने वाले छात्रों की प्रतिशतता 92.2 (लड़के) तथा 49.5 (लड़कियां) थीं और अब यह प्रतिशतता 107.93 (लड़के) तथा 69.37 (लड़कियां) हो गई हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रतिशतता पांचवीं पंच वर्षीय योजना के

अन्त में 78.93 (लड़के) तथा 26 52 (लड़कियां) थी जबकि अब यह प्रतिशतता 114.34 (लड़के) तथा 70.39 (लड़कियां) है।

2.4 अध्यापकों की संख्या

	अध्यापकों की कुल संख्या			
	1982-83		1983-84	
	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं
(क) स्कूल अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	4	30	7	33
प्राथमिक स्कूल	9595	4384	9456	4640
(ख) स्तर अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	4	74	7	53
प्राथमिक स्तर	19855	11301	19928	12172

अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या

(क) स्कूल अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	—	—	—	—
प्राथमिक स्कूल	677	66	632	72

(ख) स्तर अनुसार

	1982-83		1983-84	
	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	—	—	—	—
प्राथमिक स्तर	1015	103	1163	148

5. बालवाड़ियों की स्थापना

हरियाणा में पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियों की संख्या 27 है। इस में से 7 पूर्व प्राथमिक विद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में 20 बालवाड़ियां चल रही है, जो समाज के पिछड़े एवं औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों के 6 वर्ष तक के बच्चों की देख रेख एवं उनके लिए शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करती है। पांचवी पंच वर्षीय योजना के अन्त में केवल 7 पूर्व प्राथमिक विद्यालय तथा 10 बालवाड़ियां उपलब्ध थी।

5.6 इस समय हरियाणा में सभी राजकीय विद्यालयों में पहली से आठवीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। 6-11 वर्ष तक की आयु के अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल में जाने के लिए प्रति वर्ष अप्रैल मास में छात्र संख्या अभियान चलाया जाता है। वर्ष 1983-84 में उसके प्रचार/प्रसार पर 1.39 लाख रुपए खर्च किये गये। इस अभियान के फल स्वरूप वर्ष 1983-84 में 6-11 आयु वर्ग के 13.90 लाख बच्चों के प्रवेश के लक्ष्य के स्थान पर 14.64 लाख बच्चे दाखिल हुए। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हरिजन जाति/कमजोर वर्ग के बच्चों को लेखन सामग्री आदि के क्रय हेतु पांच रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से प्रोत्साहन दिया जाता है। वर्ष 1983-84 में इसके लिए 7.50 लाख रुपये की व्यवस्था की

गई । लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1983-84 में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली हरिजन छात्राओं को मुफ्त वर्दियां प्रदान करने के लिए 30.62 लाख रुपये की व्यवस्था करवाई गई । प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली 44000 हरिजन छात्राओं को 10/- रुपये प्रति छात्रा प्रतिमास के हिसाब से 52.80 लाख रुपये के उपस्थिति पुरस्कार दिये गये ।

2.7 वर्ष 1983-84 में राज्य के 1000 प्राथमिक स्कूलों को 300/- रुपये प्रति प्राथमिक स्कूल की दर से 3.00 लाख रुपये की राशि खेल कूद तथा मनोरंजन की सामग्री जुटाने हेतु तथा इन प्राथमिक स्कूलों के खेलों के मैदानों के विकास के लिए दी गई ।

हरियाणा राज्य के सभी राजकीय प्राथमिक स्कूलों में छात्रों के बैठने के लिए टाट-पटटी का प्रयोग किया जाता है । वर्ष 1983-84 में सरकार ने टाट पट्टी हेतु 15 लाख रुपये स्वीकृत किये जिसमें से 101500 मीटर टाट पटटी खरीदी गई ।

2.8 स्थापित किये गये शाला संगम केन्द्रों में आयोजित मासिक बैठकों में प्राथमिक अध्यापकों की व्यवसायिक कुशलता को बढ़ाने के लिये कई प्रकार के कार्यक्रम अपनाये जाते हैं । इन मासिक बैठकों में अध्यापक कक्षा सम्बन्धि अध्यापन समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श करते है। इन [बैठकों मे खण्ड शिक्षा अधिकारी उप-मण्डल शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी समय-समय पर भाग लेते हैं।

एस. सी. इ. आर. टी. के प्रकाशन विभाग द्वारा 'प्राथमिक अध्यापक' नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है । इस पत्रिका के माध्यम से प्राथमिक अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक विकास के लिए पत्राचार कार्यक्रम व्यापक रूप में चलाया जाता है । यह पत्रिका राज्य के प्राथमिक अध्यापकों को निःशुल्क उपलब्ध की जाती है । प्राथमिक स्तर के अध्यापक प्रति मास संगम की बैठकों में इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री पर विचार विमर्श करते हैं, जिससे बच्चों को रोचक तथा सुगम ढंग से शिक्षा देने का ज्ञान प्राप्त है ।

जो प्राथमिक स्कूल, शाला संगम योजना के अन्तर्गत शाला संगम केन्द्रों के रूप में शामिल किये गये हैं उनमें विज्ञान किट्स भी उपलब्ध करवाई है। वर्ष 1983-84 में इस परियोजना के लिए 306500 रुपये की राशि स्वीकृत की गई। यह परियोजना राज्य के 850 स्कूलों में चलाई जा रही है।

2.9 कक्षा शिक्षा नीति तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार

सामान्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही कक्षा में कुछ विद्यार्थी पढ़ाई में तीव्र होते हैं तथा कुछ मन्द होते हैं। अतः विभाग ने यह अनुमति दी है कि यदि कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक हो तो कक्षा के अलग-अलग सैक्शन बना दिए जायें तथा इन सैक्शनों को इस तरह से बनाया जाये कि तीव्र बुद्धि के बच्चे एक सैक्शन में तथा मन्द बुद्धि वाले बच्चे दूसरे सैक्शन में आ जाएं और जिस शिक्षक के पास मन्द बुद्धि वाले बच्चे हों उस शिक्षक के वार्षिक परिणाम को देखते समय तथा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि वह कमजोर सैक्शन को पढ़ा रहा था :

पहली से चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह परीक्षा नीति अपनाई गई है कि पहली तथा दूसरी कक्षा में कोई बच्चा फेल न किया जाये तथा तीसरी तथा चौथी की कक्षाओं में परीक्षा के परिणाम अनुसार कार्यवाही की जाए।

2.10 स्कूल केयर फीडिंग प्रोग्राम

मध्यान्ह भोजन का कार्यक्रम हरियाणा में केयर की सहायता से 117 शिक्षा खण्डों में चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्कूलों में छात्र/छात्राओं में मध्यान्ह भोजन देने की व्यवस्था है। यह खाद्य सामग्री केयर की सहायता से मुफ्त प्राप्त होती है, प्रत्येक बच्चे को 80 ग्राम दलिया तथा 8 ग्राम सलाद आयल दिया जाता है। वर्ष 1983-84 में 2.93 लाख बच्चों को पंजीरी आदि वितरित की गई।

घरौण्डा में स्थापित केन्द्रीय किचन द्वारा प्रतिदिन एक लाख बच्चों के लिए पंजीरी तैयार करके स्कूलों में बांटने के लिये भेजी जाती है। इस के

अतिरिक्त वर्ष 1981-82 में दो नये गोदाम एक रिवाड़ी तथा दूसरा घरौण्डा में चलाया गया था।

वर्ष 1983-84 में इस प्रोग्राम पर 34.82 लाख रुपये खर्च किये गये जबकि वर्ष 1982-83 में 38.00 लाख रुपये खर्च हुए थे।

2.11 अध्यापकों के नये पद सृजन करना

वर्ष 1983-84 में जे0 बी0 टी0 अध्यापकों के 2250 प्रस्तावित पदों के लक्ष्य के सम्मुख इन्हें निम्नानुसार सृजन करवाया गया :—

1.	कन्याओं के 200 नये राजकीय प्राथमिक स्कूल के कारण	200
2.	राज्य के 550 एक अध्यापकीय स्कूलों का द्वि-अध्यापकीय स्कूल बनाने हेतु	550
9.	छात्र संख्या में वृद्धि के कारण	1500

अध्याय तीसरा

माध्यमिक शिक्षा

3.1 आधुनिक युग में माध्यमिक शिक्षा का भी प्राथमिक शिक्षा से कम महत्व नहीं है। हरियाणा में माध्यमिक शिक्षा विकास एवं विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

3.2 रिपोर्टाधीन अवधि में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

	1982–83		1983–84	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
माध्यमिक पाठशालाएं	940	104	996	111
उच्च/उच्चतर माध्यमिक पाठशालाएं	1422	280	1446	282

वर्ष 1983–84 में किसी भी स्कूल का स्तर नहीं बढ़ाया गया अर्थात किसी भी स्कूल को प्राथमिक से माध्यमिक तथा माध्यमिक से उच्च नहीं किया गया क्योंकि पिछले वर्षों के दौरान पहले ही अधिक स्कूलों का स्तर बढ़ा दिया गया था। वर्ष 1983–84 के दौरान 2 विद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई तथा एक स्कूल को सरकार ने अपने नियन्त्रण में लिया। पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त में माध्यमिक पाठशालाओं की संख्या 801 तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं की संख्या 1201 थी तथा अब माध्यमिक पाठशालाओं की संख्या 1107 तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं की संख्या 1728 है।

3.3 छात्र संख्या

(क) कुल संख्या	1982–83 लड़के	1982–83 लड़कियां	1983–84 लड़के	1983–84 लड़कियां
(1) स्कूल अनुसार				
माध्यमिक स्कूल	221131	115270	247159	134780
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	826199	351838	839128	373169
(2) स्तर अनुसार				
माध्यमिक स्तर (छठी से आठवीं)	375248	140181	380481	154834
उच्च/उच्चतर माध्यमिक नौवीं से ग्यारहवीं	158817	50744	162724	53208

(ख) अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या

स्कूल अनुसार	1982–83 लड़के	1982–83 लड़कियां	1983–84 लड़के	1983–84 लड़कियां
माध्यमिक स्कूल	39258	17554	43986	21981
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	126567	34953	131091	405[illegible]

स्तर अनुसार

माध्यमिक (छठी से आठवी)	53757	10707	55315	13305
उच्च/उच्चतर माध्यमिक (नौवी से ग्यारहवीं)	19742	2260	20127	2536

कक्षा छठी से आठवीं तथा नौवी से ग्यारहवी की छात्र संख्या के लिये वर्ष 1983–84 के योजनाधीन निर्धारित लक्ष्य एवं उनकी पूर्ति :—

कुल छात्र संख्या लाखों में

	लक्ष्य			लक्ष्य की पूर्ति		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	कुल
छात्र संख्या (छठी से 8 वी)	3.90	1.60	5.50	3 86	1.55	5.41
छात्र संख्या (9 वीं से 11 वीं)	1.74	0.51	2.25	1.63	0.53	2.16
प्रतिशतता						
11-14 आयु के छात्रों की प्रतिशतता	77.5	34.7	57 0	76.7	33.6	56.1
14-17 आयु के छात्रों की प्रतिशतता	34 0	11.2	23.1	36.9	11.6	22.3
अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या						
छात्र संख्या (6–8वीं)	0.52	8.14	0.66	0.55	0 14	0.69
11-14 आयु के छात्रों की प्रतिशतता	34 0	11.2	23 2	57.9	15.2	37 5

पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त में 11-14 आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले छात्रों की प्रतिशतता 63.1 तथा 23.8 (लड़कियां) थी परन्तु अब यह प्रतिशतता 76.72 (लड़के) तथा 33.60 (लड़कियां) है। इसी प्रकार 14-17 आयु वर्ग के छात्रों की प्रतिशतता पांचवीं योजना के अन्त में 21.6 (लड़के) तथा 7.9 (लड़कियां) थी और अब यह प्रतिशतता 36.88 (लड़के) तथा 11.62 (लड़कियां) है। अनसूचित जातियों के छात्रों की प्रतिशतता पांचवीं योजना के अन्त में 38.18 (लड़के) तथा 5.32 (लड़कियां) 11-14 आयु वर्ग की 10.56 (लड़के) और 1.01 (लड़कियां) 14-17 आयु वर्ग में थी। परन्तु अनुसूचित जातियों की यह प्रतिशतता अब 11-14 आयु वर्ग में 57.87 (लड़के) और 15.18 (लड़कियां) तथा 14-17 आयु वर्ग में 20.67 (लड़के) और 2.93 (लड़कियां) हो गई हैं।

(क) अध्यापकों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :-

	1982-83		1983-84	
(1) स्कूल अनुसार	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं
माध्यमिक स्कूल	6125	3264	6880	3689
उच्च/उच्चतर माध्यमिक	24265	11984	24444	12864
(2) स्तर अनुसार				
माध्यमिक स्तर	11656	5225	11841	5665
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	8474	3061	8996	3333

(ख) अनसूचित जाति के अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार है-

(1) स्कूल अनुसार				
माध्यमिक स्कूल	343	48	397	72
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	714	73	719	96

(2) स्तर अनुसार

माध्यमिक स्तर	333	45	307	56
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	387	39	278	41

पांचवी पंच वर्षीय योजना के अन्त में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या 9916 पुरुष तथा 3687 महिलाएं थी तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 7542 पुरुष तथा 2395 महिलाएं थी। परन्तु अब अध्यापकों की संख्या माध्यमिक स्तर पर 11841 पुरुष तथा 5665 महिलाएं तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 8996 पुरुष तथा 3333 महिलाएं हैं।

3.5 अध्यापक अमले की स्वीकृति

वर्ष 1983–84 में 200 मास्टरज तथा 210 सी० एण्ड० वी० अध्यापकों के प्रस्तावित पदों के लक्ष्य के अनुसार इन्हें सृजन करवाया गया।

3.6 दोहरी पारी प्रणाली

विभिन्न विद्यालयों के जिन भवनों में छात्र संख्या की वृद्धि के कारण बच्चों के बैठने के लिए कमरों की कमी हो जाती है, उन विद्यालयों में दोहरी पारी प्रणाली अपनाने की स्वीकृति देने में जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं सक्षम हैं।

3.7 सहशिक्षा को नीति

ऐसे क्षेत्र तथा गांव जिनमें लड़कियों के लिए माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां लड़कों के विद्यालय में ही लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध की गई है।

3.8 तेलगु भाषा की शिक्षा

हरियाणा में सातवीं कक्षा से तेलगु भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में दी जाती है। इस भाषा की शिक्षा की सुविधा राज्य के 52 विद्यालयों

में उपलब्ध है। वर्ष 1983–84 में इस प्रयोजन हेतु 312 छात्रवृत्तियों के लिए 37440 रुपये की व्यवस्था की गई है।

3.9 शिक्षा पद्धति 10 जमा 2 जमा 3 को लागू करना

इस नई शिक्षा प्रणाली को प्रयोगात्मक उद्देश्य से लागू करने हेतु 24 विद्यालयों में व्यवसायिक कक्षाएं आरम्भ की गई हैं। यदि यह प्रणाली सफल रही तो राज्य के और विद्यालयों में भी आरम्भ की जायेगी।

3.10 विशेष कोचिंग कक्षाएं

नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं में पढ़ रहे हरिजन जाति के बच्चों को गणित अंग्रेजी तथा विज्ञान विषयों में प्रति वर्ष तीन मास के लिये विशेष कोचिंग दी जाती है। ताकि अनुसूचित जाति के कमजोर बच्चे अन्य छात्रों को कम्पीट कर सकें। वर्ष 1983–84 में इस स्कीमाधीन 1.50 लाख रुपये की व्यवस्था रही। अध्यापकों को पारिश्रमिक 150/–रुपये से 200/– रुपये तक मासिक दर से दिया जाता है। इन कक्षाओं को आरम्भ करने के लिये प्रत्येक विषय पर कम से कम 10 या इससे अधिक छात्र संख्या निर्धारित है।

3.11 परीक्षा परिणाम

आठवीं, दसवीं तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ रहे छात्रों की परीक्षाओं के लिए राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना की हुई है। मार्च 1984 में हुई परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम निम्न प्रकार रहा :–

	नियमिक		प्राइवेट	
	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण हुए	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण हुए
आठवीं	161561	91917	22012	9128
दसवीं	97897	63640	22833	6846
11वीं	7100	2835	यह परिणाम नियमित विद्यार्थियों के परिणाम में सम्मिलित है।	

3 12 अराजकीय विद्यालयों को अनुदान

पूर्व वर्षों की भांति 1983–84 में भी अराजकीय विद्यालयों को निम्न-लिखित अनुदान दिया गया :–

	1982–83 (लाख रुपये में)	1983–84 (लाख रुपये में)
1. प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय	26.48	130.28
2. उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	29.86	296.29
3. स्थानीय विकास कैंट बोर्ड अम्बाला	0.20	2.06
4. संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान	1.16	1.50
5. हरियाणा सांकेत कौंसिल चण्डी मन्दिर	0.68	0.68
6. हरियाणा वैल्फेयर सोसाइटी फार डैफ एंड डम्ब, चण्डीगढ़ गुड़गावा केन्द्र के लिए	0.90	0.90
7. हरियाणा स्टेट कौंसिल फार चाइल्ड वैल्फेयर चण्डीगढ़	1.44	1.43

उपरोक्त अनुदान के अतिरिक्त 10 अराजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उपकरणों के खरीदने के लिये 500 रुपये प्रति स्कूल की दर से 5000 रुपये की राशि का उपकरण अनुदान भी दिया गया ।

अध्याय चौथा

प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा

4.1 हरियाणा राज्य में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 2 अक्तूबर 1978 को बड़े पैमाने पर आरम्भ किया गया। इससे पहले भी प्रौढ़ शिक्षा एवं समाजिक शिक्षा का कार्यक्रम राज्य के कुछ जिलों में चलाया जा रहा था। जिनमें प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या 998 थी। परन्तु रिपोर्टाधीन वर्षों में कार्यरत प्रौढ़ केन्द्रों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	पुरुष	महिलाएं	जोड़
198 -83	1653	2109	3765
1983-84	1493	2516	4009

पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या 1685 थी परन्तु अब 4009 है।

4.2 साक्षरता प्राप्त करने वाले प्रौढ़ों की संख्या

(क) रिपोर्टाधीन वर्ष में लाभान्वित प्रौढ़ों की कुल संख्या निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	पुरुष	महिलाएं	जोड़
1982-83	51618	63569	115184
1983-84	42458	71951	114409

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या

	1982-83		1983-84	
	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं
(1) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रौढ़ों की संख्या	50310	53881	41511	63318
(2) अनुसूचित जातियों के लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या	13079	16514	11777	28104

पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत में (अर्थात वर्ष 1978-79) लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या 57637 थी जो बढ़कर 114409 हो गई।

4.3 वित्त व्यवस्था

वर्ष 1983-84 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिये व्यय (प्रोविजनल) निम्न प्रकार है :—

	1982-83	1983-84
1. केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम	52.71 लाख रु०	66.99 लाख रुपये
2. राज्य सरकार द्वारा संचालित	27.99 ,, ,,	31.29 ,, ,,
जोड़ :	80.70 ,, ,,	98.28 ,, ,,

वर्ष 1983-84 में 114409 प्रौढ़ों का दाखिल किया गया, जिनकी पढ़ने लिखने, संख्यात्मक तथा कार्यात्मिक में साधारण परीक्षा ली गई, जिसमें 73880 प्रौढ़ उत्तीर्ण हुये। 71951 महिला प्रौढ़ों में से 44937 महिला प्रौढ़ उत्तीर्ण हुई।

4.4 जिला शिक्षा बोर्ड

जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिये उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को और सुदृढ़ बनाने तथा विकसित करने के लिये जिला स्तर पर जिला संशाधन केन्द्रों का गठन भी किया गया है।

4.5 स्वैच्छिक सस्थायें

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में स्वैच्छिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। जनता कल्याण समिति रिवाड़ी तथा सामाजिक कार्य अनुसंधान केन्द्र खोरी/महेन्द्रगढ़ द्वारा 230 केन्द्र चलाने के लिये भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया गया। इसके अतिरिक्त गुड़गावां, रोहतक, करनाल तथा भिवानी में नेहरू युवक केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महर्षिदयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा 120 तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा 50 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए अनुदान दिया।

4.7 संसाधन केन्द्रों के स्थापना

प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित साहित्यक सामग्री तैयार करने व उपलब्ध करने के लिए निदेशालय स्तर पर राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना की हुई है। इसी तरह जिला स्तर पर भी संसाधन केन्द्रों की स्थापना की हुई है।

4.8 श्रमिक विद्यापीठ फरीदाबाद

वर्ष 1981-82 में हरियाणा में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिक विद्या पीठ की फरीदाबाद में स्थापना की गई। इसका उद्देश्य औद्योगिक श्रमिकों को शिक्षा देना, औद्योगिक नगर में रहन सहन का ज्ञान देना, कोई घरेलू धन्धा सीखने तथा उद्योगों के प्रबन्ध में भागीदार होने का ज्ञान देना है।

4.9 अनौपचारिक शिक्षा

हरियाणा में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1974-75 में प्रयोगात्मक उद्देश्य से आरम्भ किया था। आरम्भ में 11-13 तथा 14-17 आयु

वर्ग के उन बच्चों को 5 वीं तथा 8 वीं की परीक्षाओं के लिये तैयार करना था, जिन्होंने मध्य में ही पढ़ना छोड़ दिया था। वर्ष 1977 78 में कुछ अंशकालीन स्कूल भी आरम्भ किये गये ताकि उनमें वे बच्चे पढ़ सकें जो स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते। जब राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को 2 अक्तूबर 1978 में आरम्भ किया गया तो अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का भी पुनर्गठन किया गया था तथा 2510 प्राथमिक स्तर के और 120 माध्यमिक स्तर के केन्द्र स्वीकृत किये गये। रिपोर्टाधीन अवधि में क्रियाशील केन्द्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :--

वर्ष	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
	प्राथमिक	माध्यमिक	प्राथमिक	माध्यमिक
1982-83	3113	18	363	2
1983-84	3195	--	316	—

4.10 रिपोर्टाधीन अवधि में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में लाभान्वित छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही :—

	1982-83		1983-84	
प्राथमिक स्तर	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
कुल छात्र संख्या	47552	55017	41546	56677
ग्रामीण क्षेत्र की संख्या	44127	47686	38649	50479
अनुसूचित जाति की छात्र संख्या	10659	14169	7820	13931

माध्यमिक स्तर की छात्र संख्या इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वर्ष 1983-84 में माध्यमिक स्तर के केन्द्र बन्द रहे।

4.11 वित्त व्यवस्था

वर्ष 1983-84 में अनौपचारिक शिक्षा पर निम्न अनुसार व्यय

(प्रोविजन) किया गया :—

1.	योजनेत्तर	36.04
2.	योजना	13.16
3.	जोड़	49.20

4.12 छात्रों को प्रोत्साहन

रिपोर्टाधीन अवधि में सभी छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा कार्य अनुभव के लिए सामग्री दी गई। इसके अतिरिक्त हरिजन छात्राओं को मुफ्त वर्दियां भी दी गई।

4.13 मूल्यांकन

अनौपचारिक शिक्षा में दो तरह के छात्र होते हैं।

1. वे बच्चे जो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं।
2. वे बच्चे जो स्कूल में जाते ही नहीं।

पहली प्रकार के बच्चों में कुछ बच्चे अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करके पुनः स्कूलों में दाखिल हो जाते हैं। कुछ पांचवी कक्षा की परीक्षा में बैठते हैं तथा उनका मूल्यांकन उप-मण्डल शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाता है। दूसरी प्रकार के बच्चे 3/4 वर्षों की अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण करके पांचवी कक्षा की परीक्षा में बैठते हैं उन्हें उत्तीर्ण होने के लिए 25 प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होती है। माध्यमिक केन्द्रों में स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा की माध्यमिक परीक्षा में बैठने के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है।

4.14 प्रशासनिक व्यवस्था

मुख्यालय में अनौपचारिक शिक्षा के लिए एक पद अध्यक्ष अनौपचारिक शिक्षा का है। क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम की देखभाल, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी ही करते हैं।

अध्याय पांचवां

महिला शिक्षा

5.1 आधुनिक युग में स्त्री शिक्षा के महत्व को देखते हुए हरियाणा राज्य में स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं।

(क) पहली से आठवीं कक्षा तक सभी राजकीय विद्यालयों में लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। राजकीय उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में लड़कियों से लड़कों की अपेक्षा टयूशन फीस कम ली जाती है। अराजकीय विद्यालयों में भी छठी से ग्यारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाली कन्याओं की फीस की दर लड़कों की अपेक्षा कम रखी जाती है।

(ख) प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली 44000 हरिजन छात्राओं को 10/- रुपए प्रति छात्रा प्रति मास के हिसाब से 52.80 लाख रुपए के उपस्थिति पुरस्कार दिए गए। वर्ष 1982-83 में भी इतनी ही राशि व्यय की गई थी।

(ग) प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली हरिजन छात्राओं को वर्दी मुफ्त दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए 30.62 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। 17.52 लाख रुपए की राशि वर्ष 1982-83 में व्यय की गई थी।

(घ) हरिजन कन्याओं को नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में क्रमशः 40, 50 तथा 60/- रुपए की दर से योग्यता छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है। ये छात्रवृत्तियां आठवीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा परिणाम के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को दी जाती हैं। इस स्कीम के अधीन 80 हरिजन छात्राओं को लाभ मिलता है। इतनी ही छात्रवृत्तियां 1982-83 में दी गई थीं।

(ङ) विधवाओं/पतियों से अलग रहने वाली/विवाह विच्छेद स्त्रियों के लिए जे0 बी0 टी0/एल0 टी0 सी0/नर्सरी प्रशिक्षण कक्षाओं में कुछ स्थान आरक्षित रखे जाते हैं । ऐसी महिलाओं को अधिकतम आयु में साधारण ढील दी जाती है । ये स्त्रियां 31 वर्ष की आयु तक प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं जबकि पुरुषों की अधिकतम आयु केवल 26 वर्ष है। जो सैनिक अयोग्य हो गए हों या लड़ते-लड़ते मारे गए हों, की पत्नियों या उनके आश्रितों को प्रवेश के लिए अधिकतम आयु की सीमा 41 वर्ष है ।

(च) यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक स्कूल में एक महिला अध्यापिका नियुक्त की जाए ताकि अधिक से अधिक छात्राएं स्कूलों की ओर आकर्षित हों और यदि प्रशिक्षित अध्यापिका उपलब्ध न हो तो अप्रशिक्षित अध्यापिका नियुक्त की जाए तथा वेतन योग्यता के आधार पर निर्धारित किया जाए परन्तु इस तरह की अध्यापिकाएं अस्थाई होंगी ।

5.2 महिला शिक्षा संस्थाओं की संख्या

संस्था का प्रकार	1982–83	1983–84
प्राथमिक विद्यालय	216	350
माध्यमिक विद्यालय	104	111
उच्च विद्यालय	260	258
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	20	24

वर्ष 1983–84 में 200 प्राथमिक विद्यालय केवल कन्याओं के लिए खोले गए । उनके अतिरिक्त जिन स्थानों पर कन्याओं के अलग स्कूल नहीं हैं वहां पर वे लड़कों के स्कूलों में ही शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं । कन्याओं के लिए अलग प्राथमिक स्कूल निम्नलिखित शर्तों पर ही खोले जा सकते हैं —

1. यदि स्थानीय ग्रामीण जनता की मांग हो ।

2. यदि स्थानीय जनता स्कूल के भवन के लिए प्रबन्ध कर दे ।

3. यदि 30 या 40 कन्याएं विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए उपलब्ध हों ।

4. यदि एक मील के क्षेत्र में कन्याओं के लिए कोई और विद्यालय न हो ।

5. जिला शिक्षा अधिकारी, कन्याओं के लिए अलग शाखा विद्यालय भी खोल सकते हैं यदि उस गांव में लड़कियों की संख्या पर्याप्त हो और अतिरिक्त स्टाफ देने की आवश्यकता न हो।

5.3 विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या

वर्ष 1983-84 में राज्य में विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या निम्न प्रकार रही है :—

शिक्षा का स्तर	1982-83		1983-84	
	कुल छात्राएं	अनुसूचित जाति की छात्राएं	कुल छात्राएं	अनुसूचित जाति की छात्राएं
प्राथमिक स्तर	508934	53277	550638	106231
माध्यमिक स्तर	140181	10707	154834	13305
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	50744	2260	53208	2536

अध्याय छठा

शिक्षा सुधार कार्यक्रम

6.1 शिक्षा में गुणात्मक सुधारों के लिए तथा शिक्षा के स्तर को समुन्नत करने के लिए विभाग द्वारा रिपोर्टाधीन अवधि में कई प्रोग्राम चलाए गए।

6.2 शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने, विद्यालय स्तर पर गतिरोध को कम करने, प्राथमिक स्कूल शिक्षा को अधिक प्रभावशाली तथा रोचक बनाने, अध्यापकों की शिक्षण विधियों को नई दिशा देने तथा आवश्यक शिक्षक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से वर्ष 1978–79 से राज्य में शैक्षिक तकनीकी अनुभाग की स्थापना की गई है।

यह एक केन्द्र संचालित स्कीम है जिस पर खर्च की जा रही धनराशि की शत प्रतिशत 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसके लिए सरकार ने वर्ष 1983–84 में 1.71 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है।

6.3 कार्य अनुभव

कार्यानुभव शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। यह विषय राज्य के सभी राजकीय स्कूलों में पढ़ाया जाता है। कार्य अनुभव जिसे अब समाज उपयोगी उत्पादक का कार्य कहा जाता है को नई शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग माना गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस विषय का सभी माध्यमिक कक्षाओं के लिए अनिवार्य विषय बना दिया है तथा वर्ष 1983–84 में उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में इस कार्यक्रम के लिए 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त 200/- रुपए प्रति प्राइमरी स्कूल की दर से 1000 प्राइमरी स्कूलों के लिए वर्ष 1983–84 में 2.00 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।

6.4 शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक सुविधाओं का उपलब्ध करना

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक तथा भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिए विशेष पग उठाए गए।

हरियाणा राज्य में अधिकतर स्कूलों के भवनों की स्थिति अच्छी नहीं है। अतः शिक्षा विभाग ने स्कूलों के भवनों के लिए एक विशाल कार्यक्रम आरम्भ किया है। शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए नए भवन निधि नियम (बिल्डिंग फण्ड रूल्ज) के अनुसार राजकीय स्कूलों में फण्ड के अन्तर्गत एकत्रित की गई राशि का 80 प्रतिशत विभाग के मुद्रा कोष (मनि पूल) में जमा करवाना पड़ता है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जिन स्कूलों के भवन पूरी तरह तैयार है उन्हें देखभाल के लिए लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया जाए।

राज्य के विद्यालयों के भवनों की विशेष मुरम्मत हेतु नान-प्लान पर 15 लाख रुपए की बजट व्यवस्था है तथा इतनी ही बराबर की राशि बिल्डिंग पूल मनी में दी जाती है। इस प्रकार कुल 90 लाख रुपए प्रति वर्ष इस कार्य हेतु दिए जाते है।

प्लान पक्ष पर उच्च एवं उच्चतर विद्यालयों के निर्माण हेतु 20 लाख रुपए तथा प्राथमिक विद्यालयों के लिए 3 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया।

अध्यापक भवन के निर्माण हेतु 70,000 रुपए की राशि दी गई।

स्कूलों में टाट पट्टी, बिजली के पंखे, फर्नीचर की कमी को पूरा करने के लिए स्कूल छात्र निधियों की बचत में से स्वीकृतियां जारी की जाती हैं।

अध्याय सातवां

छात्रवृति तथा अन्य वित्तीय सहायता

7.1 सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा के भिन्न-2 स्तरों पर शिक्षा प्राप्ति के लिए राज्य सरकार की भिन्न-2 स्कीमों के अंतर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृतियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अनेक प्रकार की छात्रवृतियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा शिक्षा विभाग को जुटाई गई, राशि में से वजीफे एवं वित्तीय सहायता दी जाती है।

7.2 स्कूलों में छात्रों के लिए योग्यता छात्रवृति योजना

(क) पांचवी कक्षा स्तरीय योग्यता छात्रवृति परीक्षा के आधार पर माध्यमिक कक्षा छठी से आठवीं कक्षा तक 10/- प्रतिमास की दर से वर्ष 1983-84 में योग्यता छात्रवृतियां देने के लिए सरकार द्वारा 6.16 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। वर्ष 1982-83 में भी इन छात्रवृतियों के लिए 6.16 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

(ख) माध्यमिक परीक्षा पर आधारित योग्यता छात्रवृति 15/- रुपये मासिक प्रति छात्र की दर से वर्ष 1983-84 में ये छात्रवृतियां देने के लिए 6.62 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी। वर्ष 1982-83 में भी ये छात्रवृतियां दी गई थीं तथा 5.46 लाख रुपये व्यय किये गये थे।

7.3 सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों की छात्रवृतियां

देश में विभिन्न सैनिक स्कूलों तथा पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए वर्ष 1983-84 में 553 हरियाणवी छात्रों को छात्रवृतियां एवं

कपड़ा भत्ता के रूप में 23.54 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। वर्ष 1982-83 में 502 हरियाणवी छात्रों पर 28.23 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

7.4 तेलगू भाषा प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति

हरियाणा में सातवीं कक्षा से तेलगू भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में दी जाती है। जो छात्र तेलगू भाषा पढ़ता है उसे 10/- रुपये प्रति मास की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 1983-84 में इस उद्देश्य के लिए 37,740 रुपये की व्यवस्था की गई। इतनी ही राशि की व्यवस्था वर्ष 1982-83 में की गई थी।

7.5 राज्य हरिजन कल्याण योजना अधीन अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को सुविधाएं

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों/छात्राओं को सभी प्रकार की शैक्षिक, व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिये विशेष सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे छात्र बिना भेद-भाव के राज्य की सभी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पा सकते हैं। निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। इस योजना के अधीन नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले हरिजन विद्यार्थियों को 30/- रु0 की दर से स्टाईफण्ड प्रदान किये जाते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में 75.43 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। वर्ष 1982-83 में इस स्कीम के अधीन इतनी ही राशि व्यय की गई थी।

7.6 छात्राओं के लिये योग्यता छात्रवृत्ति

नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं की हरिजन छात्राओं के लिए 60-60 छात्रवृत्तियां। 180 छात्रवृत्तियां प्रत्येक कक्षा में अर्थात नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं में क्रमशः 40/- रुपये 50/- रुपये तथा 60/- रुपये प्रति मास की दर से दी जाती है। वर्ष 1983-84 तथा 1982-83 में भी इतनी ही छात्रवृत्तियां दी गई।

7.7 ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिये माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृति योजना

ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राज्य की ओर से 5 छात्रवृत्तियां प्रति विकास खण्ड की दर से दी जाती हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले इन छात्रों में से जो छात्र छात्रावास में रहते हैं उन्हें 100/- रुपये प्रति मास, डे स्कालर्ज तथा नौवी, दसवीं 30/- रुपये प्रति मास तथा डे स्कालर्ज (11 वीं तथा 12 वीं) 60 रुपये प्रति मास की दर से छात्रवृति प्रदान की जाती है। वर्ष 1983-84 में इस परियोजना के लिये 2.73 लाख रुपये व्यवस्था की गई थी। इतनी ही राशि वर्ष 1982-83 में खर्च की गई थी।

7.8 टोकन प्राइज तथा मैरिट सर्टिफिकेट

ऐसे छात्र जो मिडल/उच्च विद्यालय योग्यता छात्रवृति सूचि में आते हैं, परन्तु उनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 10,000/- रुपये से अधिक होने के कारण वे योग्यता छात्रवृति के पात्र नहीं बनते, को 50 रु0 का टोकन प्राइज तथा मैरिट सर्टिफिकेट दिया जाता है। मिडल कक्षाओं में 100 तथा उच्च कक्षाओं में 70 टोकन प्राईज रखे गये हैं जिनके लिए 8500 रुपये की राशि की व्यवस्था की गई।

अध्याय आठवां

विविध

8.1 शिक्षा स्तर अध्यापकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर निर्भर करता है, शिक्षा के क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन कई प्रकार के नये अनुसंधान हो रहे हैं तथा अध्यापकों का इसमें भली भांति परिचित होना आवश्यक है। शिक्षकों को व्यवसायिक दक्षता प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

1 सेवा काल से पूर्व प्रशिक्षण । 2 सेवा कालीन प्रशिक्षण ।

(1) सेवा काल से पूर्व प्रशिक्षण

वर्ष 1983–84 में सरकार/विभाग ने निम्न संस्थाओं में डिप्लोमा इन एजुकेशन तथा ओ0 टी0 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया :–

	संस्था का नाम	प्रशिक्षण कोर्स
1	रा0 शिक्षण महाविद्यालय भिवानी	संस्कृत
2	आर0 बी0 एस0 शिक्षण महाविद्यालय रिवाड़ी	पंजाबी
3	जनता कालेज कौल (कुरुक्षेत्र)	हिन्दी
4	डी0 ए0 वी0 कालेज हसनगढ़ (रोहतक)	हिन्दी
5	गांधी आदर्श कालेज समालखा (करनाल)	हिन्दी
6	भगत फूल सिंह कालेज आफ एजुकेशन खानपुर (सोनीपत)	हिन्दी, सी0 पी0 एड0
7	डी0 ए0 वी0 कालेज आफ एजुकेशन फार वुमैन करनाल	संस्कृत, हिन्दी

8	महाराणा प्रताप कालेज फार वुमैन बण्डी, डबवाली	हिन्दी
9.	महाविद्यालय गुरुकुल मार्टिण्डु (सोनीपत),	हिन्दी, संस्कृत
10.	अहीर कालेज रिवाड़ी, (महेन्द्रगढ़)	पंजाबी
11.	किशन लाल पब्लिक कालेज, रिवाड़ी	पंजाबी
12.	आल इण्डिया गौड़ ब्राह्मण संस्कृत कालेज, रोहतक	संस्कृत, हिन्दी
13.	रा0 जे0 बी0 टी0 ग्रावमपुर (हिसार)	हिन्दी, डी0 एड0
14.	रा0 जे0 बी0 टी0 स्कूल ग्रोढ़ा (सिरसा)	हिन्दी, डी0 एड0
15.	रा0 जे0 बी0 टी0 स्कूल फिरोजपुर नमक	हिन्दी, उर्दू डी0 एड0
16.	जनता कालेज कौल	सी0 पी0 एड0
17.	हरियाणा पब्लिक हाई स्कूल गौहाना	सी0 पी0 एड0
18.	जनता टीचर्ज ट्रेनिंग सैंटर बुटाना	सी0 पी0 एड0

8.1 सेवा कालीन प्रशिक्षण

शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रति दिन होने वाले सुधारों के ज्ञान के लिये अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण भी अति आवश्यक है। अतः वर्ष 1983-84 में विद्यालयों के अध्यापकों तथा शिक्षण अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ग्रीष्मावकाश में 2000 जे0बी0टी0 टीचरज के लिये 16 दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण 40 केन्द्रों में एस0सी0ई0आर0टी0 गुड़गांवा की देख-रेख में आयोजित किये गये जिस पर 6.50 लाख रुपये व्यय किये गये। 950 सैकण्डरी अध्यापकों/ मुख्याध्यापकों और खण्ड शिक्षा अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण का आयोजन किया गया इसके लिये सरकार द्वारा 306820 रुपये की बजट में व्यवस्था की गई।

राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद द्वारा लगभग 100 पी0टी0 आई0जे0 को भी 15 दिन की अवधि का प्रशिक्षण दिया गया। कृषि एवं तेलगु अध्यापकों के लिए भी प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किये गये।

8.2 भाषा नीति तथा भाषाई अल्पसंख्यक

हरियाणा एक भाषाई राज्य है और इसकी भाषा हिन्दी है। इस भाषा को पहली श्रेणी से ही सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं। उच्च तथा उ0मा0 स्तर पर भी हिन्दी शिक्षा का माध्यम है।

विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। यह छठी कक्षा से आरम्भ की जाती है। तीसरी भाषा में पंजाबी, संस्कृत तथा उर्दू के अतिरिक्त तेलगू की शिक्षा की सुविधा भी 52 विद्यालयों में उपलब्ध है। सातवीं और आठवीं श्रेणियों में पंजाबी, उर्दू संस्कृत तथा तेलगू भाषाओं में से विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप में कर सकते हैं।

हरियाणा में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये उन्हें अपनी भाषा के अध्ययन करने की भी विशेष सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 या स्कूल में 40 से अधिक विद्यार्थी हों जो अल्प संख्या से सम्बन्ध रखते हों तो वे अपनी भाषा को पढ़ सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिये सरकार ने उन 19 अराजकीय विद्यालयों में जिनमें हरियाणा बनने के समय शिक्षा का माध्यम पंजाबी था, पंजाबी माध्यम को आगे भी जारी रखने के लिये विशेष अनुमति दे रखी है। भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधा प्रदान करने तथा सरकार को इस सम्बन्ध में सलाह मशवरा देने हेतु एक उच्चस्तरीय अल्प भाषाई शिक्षा समिति का गठन भी किया हुआ है।

8.3 छात्रों को पाठ्य पुस्तकें/अभ्यास पुस्तकें उपलब्ध करना

वर्ष 1983-84 में अनुसूचित जातियों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करने हेतु बुक बैंकों की स्थापना की गई है। इन्हें सुदृढ़ करने के लिये 14.40 लाख रुपये की राशि वर्ष 1983-84 में स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन विद्यार्थियों को सस्ते मूल्य की अभ्यास पुस्तिकायें इत्यादि उपलब्ध करने हेतु भारत सरकार से प्राप्त होने वाले सस्ते मूल्य का कागज अनुमोदित लघु औद्योगिक इकाइयों को

अलाट किया जाता है ताकि वे अभ्यास पुस्तिकायें इत्यादि तैयार करके शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध करा सकें। वर्ष 1983-84 में 1427 टन कागज भारत सरकार से प्राप्त हुआ था जिसे छापने हेतु इन लघु औद्योगिक इकाईयों में वितरित कर दिया गया।

8.4 स्कूल क्रीड़ा

खेल कूद को राज्य शिक्षा संस्थाओं की शिक्षा पद्धति में उचित स्थान प्राप्त है। प्रायः खेलों पर व्यय शिक्षा संस्थाओं की निधि से निधिबद्ध किया जाता है। वर्ष 1983-84 में हरियाणा राज्य के स्कूलों की चुनी हुई टीमों ने राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं, जो गांधी नगर (गुजरात) में आयोजित की गई थी, में भाग लिया। कुल मिलाकर 360 लड़के तथा लड़कियों ने हरियाणा राज्य विद्यालय की टीमों का प्रतिनिधित्व किया। जिसके द्वारा कुल मिलाकर 67 पदक जीते गये।

8.5 रैडक्रास

रैडक्रास संस्था समाज में रोगियों, अंगहीनों, घायलों और निर्धनों की सहायता में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को छात्रों में लोकप्रिय बनाने के लिये राज्य में जिला स्तर पर जूनियर रैडक्रास संस्थायें, जिला शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में स्थापित की गई। शिक्षा संस्थाओं के रैडक्रास फण्ड से आवश्यकता ग्रस्त बच्चों को पुस्तकें तथा वर्दियां खरीदने और चिकित्सा के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में एकत्रित रैडक्रास फण्ड की राशि में से कुछ प्रतिशत भाग राज्य में अंगहीन बच्चों तथा व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु हर वर्ष दिया जाता है।

8.6 भारत स्काउटस एवं गाइडस

राज्य की शिक्षा संस्थाओं में भारत स्काउटस एवं गाइडस आन्दोलन छात्रों में भ्रातृप्रेम तथा नेतृत्व की भावना और जनजाति की सेवा करने के भाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से चलाया जाता है। यह आन्दोलन हरियाणा भारत स्काउटस तथा गाइडस के एसोसियेशन के संरक्षण में चल रहा है। वर्ष

1983-84 में राज्य सरकार द्वारा इस संस्था को 173 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिये गये। हरियाणा स्काउटस एवं गाइडस एसोसिएशन के द्वारा राज्य स्तर पर स्काउटस के लिये भिन्न-2 प्रकार के ट्रेनिंग कैम्पों का आयोजन किया गया।

वर्ष 1983-84 में हरियाणा स्काउटस एवं गाइडज एसोसियेशन द्वारा राज्य स्तर पर 5 शिविर स्काउटस के लगाये गये उसमें 438 स्काउटस ने भाग लिया। राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियों के 12 कैम्प लगाये गये तथा उनमें से 27 स्काउटस ने भाग लिया। गाइडज के चार शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें 232 स्काउटस ने भाग लिया। गर्ल गाइडज रैली हुई उसमें 108 ने भाग लिया।

8.7 भाषा अनुभाग

शिक्षा विभाग में एक भाषा अनुभाग स्थापित है। यह अनुभाग हरियाणा राज्य के विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों आदि से प्राप्त प्रशासनिक सामग्री का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का कार्य करता है जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण, वित्त मन्त्री का भाषण, बजट, विभिन्न विभागों आदि के मैनुअल, संहिताएँ, ज्ञापन, प्रशासनिक रिपोर्ट तथा प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रपत्रों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य सम्मिलित है। वर्ष 1983-84 के दौरान 2490 मानक पृष्ठों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद तथा इस अनुवाद का टाईप कृत प्रतियों से मिलान एवं अंतिम वाचन सम्बन्धी कार्य किया गया।

हिन्दी भाषी राज्यों में प्रचलित प्रशासनिक शब्दों का सरल बनाने और इन्हें एकरूपता देने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के संयोजन में बनी समिति की सभी बैठकों में भाग लिया और सर्वसम्मत प्रशासनिक शब्दावली का कार्य पूर्ण किया।

8.8 जनसंख्या शिक्षा

हरियाणा राज्य में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम को चलाने हेतु एस० सी० ई० आर० टी० गुड़गांवा में एक जनसंख्या शिक्षा सैल की स्थापना की गई। इसको

उद्देश्य अध्यापकों तथा बच्चों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति जागृत करना है तथा उन्हें तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के कारणों के प्रति तथा परिणामस्वरूप टूटते जा रहे जीवन मूल्यों के प्रति सजग बनाना है। राज्य को चार जनसंख्या शिक्षा मण्डलों में बांटा गया है तथा प्रत्येक मण्डल में तीन जिले हैं। इस कार्य के लिये वर्ष 1983-84 में 8.25 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई।

जनसंख्या शिक्षा के महत्व को समझने हेतु स्कूलों के मुखियों तथा शिक्षा अधिकारियों के लिये ओरिएन्टेशन का प्रबन्ध किया गया है। सभी श्रेणियों के बच्चों के लिये जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी पाठन सामग्री भी तैयार की गई तथा पाठ्यक्रम में भी इस विषय को स्थान दिया गया।

8.9 राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

अध्यापक कल्याण योजना के अर्न्तगत उन अध्यापकों/अध्यापिकाओं और उनके आश्रितों को जो विपदा स्थिति में हो, आर्थिक सहायता दी जाती है इस योजना के अन्तर्गत शिक्षक दिवस पर राशि झण्डा चन्दा के रूप में एकत्रित की जाती है और इस राशि में से प्रतिष्ठान मृतक अध्यापकों के दाह संस्कार, सेवा निवृत अध्यापकों को उनकी लड़कियों की शादी पर तथा उनकी लम्बे समय की बिमारी पर भी सहायता देता है। कार्यरत अध्यापकों को उनकी बिमारी तथा उनके बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी सहायक है। वर्ष 1983-84 में इस योजना के अन्तर्गत 158809 रुपये की सहायता दी गई थी। लगभग 8 अध्यापकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन अध्यापकों को 1000 रुपये नकद, एक चान्दी का पदक, एक प्रमाण पत्र, दो अग्रिम वेतन वृद्धि तथा दो साल की सेवा की वृद्धि से सम्मानित किया जाता है।

8.10 हरियाणा साहित्य अकादमी

राज्य सरकार द्वारा एक हरियाणा साहित्य अकादमी का भी गठन किया हुआ है। यह संस्था (1) राज्य में साहित्यिक स्तर को उन्नत करती है, सभी भाषाओं की साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित और सांस्कृतिक परम्पराओं में अनुसंधान को बढ़ावा देती है, तथा (2) हिन्दी भाषा में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार कराने के लिये मार्ग दर्शन और नीति निर्धारित करती है।

(क) साहित्य विकास प्रभाग

रिपोर्टाधीन अवधि में हिन्दी, पंजाबी तथा उर्दू में कविता, कहानी, एकांकी तथा निबन्ध के संकलन प्रकाशित किये गये और चार संकलन मुद्रणार्थ प्रेस में भेजे गये। हरियाणा की कला संस्कृति, इतिहास, साहित्य और लोक साहित्य सम्बन्धी पुस्तकें तैयार की गई तथा हरियाणवी हिन्दी कोष मुद्रणार्थ प्रैस में भेजा गया। हरियाणा की कला, संस्कृति, इतिहास, साहित्य और लोक साहित्य में सम्बन्धित पी. एच. डी. के लिए स्वीकृत दो शोध निबन्ध प्रकाशित किये (1) हरियाणा की लोक धर्मी नाट्य परम्परा (2) हिन्दी और हरियाणवी का व्यतिरेक विश्लेषण।

पुस्तक प्रतियोगिता के अन्तर्गत हिन्दी, पंजाबी और उर्दू में साहित्य की विविध विधाओं के अन्तर्गत प्राप्त 56 पुस्तकों के मूल्यांकनोपरान्त 16 पुस्तकों के लिए 16000/- रुपये के पुरस्कार स्वीकृत किये गये। राज्य के हिन्दी, पंजाबी, उर्दू तथा संस्कृत के लेखकों को अपनी अप्रकाशित पुस्तकों के प्रकाशन के लिये सहायता अनुदान दिया जाता है जो पाण्डुलिपि या अनुदान के लिये स्वीकृत की जाती है, इसमें से प्रत्येक को 2000 या प्रकाशन व्यय का 50 प्रतिशत जो भी कम हो दिया जाता है। वर्ष 1983-84 में 21 पुस्तकें प्रकाशित हुई जिनके प्रकाशन के लिए 41393/- रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। 29 अप्रकाशित पुस्तकों के प्रकाशन के लिए स्वीकृति दी गई। राज्य में साहित्यिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए लेखक गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है ताकि लेखक/आलोचक एक मंच पर एकत्रित हो सकें तथा विचार विनिमय कर सकें। वर्ष 1983-84 में हिन्दी तथा संस्कृत की दो लेखक गोष्ठियों का आयोजन किया गया जिनमें 10 शोध निबन्ध पढ़े गये। एक हिन्दी कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 1[illegible] साहित्यिक उत्सवों के आयोजन के लिये सहायता अनुदान के रूप में 1[illegible]7[illegible]7/- रुपये की राशि दी गई। मण्डल तथा राज्य स्तर पर नाटक मंचन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इनमें 11 नाटक मण्डलियों ने भाग लिया। विजेताओं को चार विजयोपहार तथा 3150/- रुपये के नकद पुरस्कार दिये गये। हिन्दी कहानी प्रतियोगिता में प्राप्त 74 कहानियों के मूल्यांकन के पश्चात [illegible] लेखकों को 1000 रुपये की राशि के पुरस्कार दिये गये।

केन्द्र चालित योजना के अन्तर्गत राज्य के तीन अभावग्रस्त संस्कृत पंडितों अथवा उनकी विधवाओं को 8000/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

(ख) ग्रन्थ अकादमी प्रभाग

वर्ष 1983-84 में ग्रन्थ अकादमी प्रभाग ने मानविकी तथा विज्ञान के विभिन्न विषयों पर दो नई पुस्तकें प्रकाशित की, तीन पूर्व प्रकाशित पुस्तकों के दूसरे संस्करण प्रकाशित किये तथा एक पूर्व प्रकाशित पुस्तक का तृतीय संस्करण निकाला । इस वर्ष के दौरान कुल 216348/- रुपये के ग्राम मूल्य की पुस्तकों की बिक्री की गई ।

18498-D.P.I.(S)-H.G.P., Chd.

Systems Unit
National Institute of Educational
Administration
New Delhi 110016
DOC. No. D-4498
Date 12-7-88

NIEPA DC
D04498